

FORM NO. 3

फर्द अहकाम आदेश सूची (ऑर्डर सीट)

(नियम 28)

सहायक कलक्टर (एच.डी.ओ.) जयपुर नगर

असरान कोर्ट बनाम सरकार

के किस्म रा. वाद द्वारा 88.89.188 R.T. Act

के संख्या 23/2014/6/2/14 वर्ष 2014

	पीठासीन अधिकारी के लघु हस्ताक्षर सहित आदेश	आदेश की अनुपालना का संक्षिप्त नोट
24	वादी ने वाद जिल्हे आग्रिनाथक गिरफ्तद प्रक्रिया के अधीन द्वारा 88.89.188 के तहत पेश किया। वाद वादी का दर्ज रजिस्टर किया जावे 6 प्रतिकादीगणों का जारी सम्मन तलब किया जावे। मिलने दिनांक 7.3.14 का पेश है।	पेश है
7/3/14	वकील वादी उपरो प्रतिकादीगणों के सम्मन प्राप्त नहीं हुये हैं। पत्रावली दिनांक 24/4/14 को पेश हो।	
24/1/14	वधुलक्ष्य उपरो प्रतिकादीगणों के सम्मन तारीख बुदा उपलब्ध है। अवाव दावा हेतु दिनांक 15/5/14 को पेश हो।	



तारीख	पीठासीन अधिकारी के लघु हस्ताक्षर सहित आदेश
15/11/14	वकील कादी उपा. राजपूरी का जवाब हेतु कल्प चाहे है समय दिया जाता है पत्रावली दिनांक 12/10/14 को पत्रा है
14/11/14	पेशकार/पत्रकारान के अधिवक्ता पीठासीन अधिकारी की विधि में/अवकाश प्रवकाश पर नये हुए है, इतिहास प्रकरण उनके समय दिनांक 31/11/14 को प्रस्तुत करें।
31/11/14	पेशकार/पत्रकारान के अधिवक्ता पीठासीन अधिकारी की विधि में/अवकाश प्रवकाश पर नये हुए है, इतिहास प्रकरण उनके समय दिनांक 16/10/14 को प्रस्तुत करें।
6/11/14	पेशकार/पत्रकारान के अधिवक्ता पीठासीन अधिकारी की विधि में/अवकाश प्रवकाश पर नये हुए है, इतिहास प्रकरण उनके समय दिनांक 10/12/14 को प्रस्तुत करें।
10/11/14	पेशकार/पत्रकारान के अधिवक्ता पीठासीन अधिकारी की विधि में/अवकाश प्रवकाश पर नये हुए है, इतिहास प्रकरण उनके समय दिनांक 30/11/15 को प्रस्तुत करें।

तारीख	पीठासीन अधिकारी के लघु हस्ताक्षर सहित आदेश	आदेश की अनुपालना का संक्षिप्त नोट
30/11/15	पेशकार/पत्रकारान के अधिवक्ता पीठासीन अधिकारी की विधि में/अवकाश प्रवकाश पर नये हुए है, इतिहास प्रकरण उनके समय दिनांक 26/11/15 को प्रस्तुत करें।	
26/11/15	पेशकार/पत्रकारान के अधिवक्ता पीठासीन अधिकारी की विधि में/अवकाश प्रवकाश पर नये हुए है, इतिहास प्रकरण उनके समय दिनांक 25/11/15 को प्रस्तुत करें।	
25/11/15	पत्रावली पेज 33) कुकुल उपा. मिसल कैम्प कोर्ट उच्च पंचायत आलोचन से दिनांक 06/07/2015 को पत्रा है।	
6/11/14	पेशकार/पत्रकारान के अधिवक्ता पीठासीन अधिकारी की विधि में/अवकाश प्रवकाश पर नये हुए है, इतिहास प्रकरण उनके समय दिनांक 12/10/14 को प्रस्तुत करें।	
12/11/15	वदुलाय उपा. राजपूरी के आदि के जवाब- पत्रावली पर उपलब्ध है पत्रावली वास्तव में तारी हेतु दिनांक 11-12-15 को पत्रा है।	
11/12/15	पेशकार/पत्रकारान के अधिवक्ता पीठासीन अधिकारी की विधि में/अवकाश प्रवकाश पर नये हुए है, इतिहास प्रकरण उनके समय दिनांक 11/12/15 को प्रस्तुत करें।	

तारीख	पीठासीन अधिकारी के लघु हस्ताक्षर सहित आदेश	आदेश अनुसूची संक्षिप्त
11-1-16	पत्रकार/पत्रकारान के अतिवृत्ता पीठासीन अधिकारी की मिति में प्रमण अवकाश पर गने हुए है, इसलिए प्रकरण उनके समक्ष दिनांक 11-1-16 को प्रस्तुत करे।	
28/5/16	पत्रकार/पत्रकारान के अतिवृत्ता पीठासीन अधिकारी की मिति में प्रमण अवकाश पर गने हुए है, इसलिए प्रकरण उनके समक्ष दिनांक 28-5-16 को प्रस्तुत करे।	
27/5/16	पत्रकार/पत्रकारान के अतिवृत्ता पीठासीन अधिकारी की मिति में प्रमण अवकाश पर गने हुए है, इसलिए प्रकरण उनके समक्ष दिनांक 27-5-16 को प्रस्तुत करे।	
20/7/16	तत्कालीन डप/निपासक विन्दु मापनी हेतु दिनांक 19/8/16 को पेश हो।	
19/8/16	तत्कालीन डप/निपासक विन्दु मापनी हेतु दिनांक 5/10/16 को पेश हो।	
5-10-16	तत्कालीन डप/निपासक विन्दु मापनी हेतु दिनांक 18/11/16 को पेश हो।	
18-1-17	तत्कालीन डप/निपासक विन्दु मापनी हेतु दिनांक 6-3-17 को पेश हो।	

तारीख	पीठासीन अधिकारी के लघु हस्ताक्षर सहित आदेश	आदेश की अनुसूची का संक्षिप्त नोट
3-1-17	तत्कालीन डप/निपासक विन्दु मापनी हेतु दिनांक 2-6-17 को पेश हो।	
18-7-17	पत्रकार/पत्रकारान के अतिवृत्ता पीठासीन अधिकारी की मिति में प्रमण अवकाश पर गने हुए है, इसलिए प्रकरण उनके समक्ष दिनांक 4-10-17 को प्रस्तुत करे।	
1-10-17	पत्रकार/पत्रकारान के अतिवृत्ता पीठासीन अधिकारी की मिति में प्रमण अवकाश पर गने हुए है, इसलिए प्रकरण उनके समक्ष दिनांक 29-11-17 को प्रस्तुत करे।	
29-11-17	पत्रकार/पत्रकारान के अतिवृत्ता पीठासीन अधिकारी की मिति में प्रमण अवकाश पर गने हुए है, इसलिए प्रकरण उनके समक्ष दिनांक 2-7-12-17 को प्रस्तुत करे।	
27-12-17	पत्रकार/पत्रकारान के अतिवृत्ता पीठासीन अधिकारी की मिति में प्रमण अवकाश पर गने हुए है, इसलिए प्रकरण उनके समक्ष दिनांक 9-3-18 को प्रस्तुत करे।	
12-3-18	पत्रकार/पत्रकारान के अतिवृत्ता पीठासीन अधिकारी की मिति में प्रमण अवकाश पर गने हुए है, इसलिए प्रकरण उनके समक्ष दिनांक 9-5-18 को प्रस्तुत करे।	
18-1-19	पत्रावली न्याय जापके द्वार शिविर-20/5/19 होने के पश्चात पेश हुई। वक्तु उप. समय के अभाव में तनकी कायम नहीं की जा सकी पत्रावली वास्ते तन्वीयात दिनांक 9-1-19 को पेश हो।	

9.1.19

पञ्जावली पेशा हरि। कुमुदा उपखण्ड
वास में निम्नलिखित विवाहक सिन्दु
कायम किए जाते हैं:-

- 1- आजा शाह कुमेरिया के खेत नम्बर 302 का मौजे पर नकसा 82=10 कीका है तथा वादीगण का इस नम्बर 82=10 कीका पर मौजे पर नकसा करत है।
(जिम्मेवारी)
- 2- आजा विवाहित खेत मौजा कुमेरिया के खेत खसरा नम्बर 302 का नकसा राजसूब निकास के अन्तर्गत 75=04 कीका सही है। (जिम्मे उतिवारी)
- 3- आजा विवाहित खेत नम्बर के विपरीत इतर पर खसरा नम्बर 168 (166) जो कि जै ठठ राखा है पर वादीगण बिना कादमी अर्थात् फाट के अपने नाम से खाली करी घोषित करवाने का कानिगारी नहीं है। (जिम्मे उतिवारी)

विवाहक सिन्दु कायम किये गये। पञ्जावली पेशा वारी डेप्ट डिवांठ 19.4.19 को पेशा है।

पञ्जाकार/पञ्जाकारान के अधिवक्ता
14.6.19 P.O. सा. पुनाव कार्यालय में प्रमण

पीठासीन अधिकारी को भ्रमण अवकाश पर नये हुए है, इसलिए प्रकरण उनके समक्ष दिनांक 14.6.19 को प्रस्तुत करें।

(Signature)

पञ्जाकार/पञ्जाकारान के अधिवक्ता

14.6.19

पीठासीन अधिकारी को भ्रमण अवकाश पर नये हुए है, इसलिए प्रकरण उनके समक्ष दिनांक 4.9.19 को प्रस्तुत करें।

(Signature)

पञ्जाकार/पञ्जाकारान के अधिवक्ता

पीठासीन अधिकारी को भ्रमण अवकाश पर नये हुए है, इसलिए प्रकरण उनके समक्ष दिनांक 0.11.19 को प्रस्तुत करें।

(Signature)

23/2014

पञ्जाकार/पञ्जाकारान के अधिवक्ता

पीठासीन अधिकारी को भ्रमण अवकाश पर नये हुए है, इसलिए प्रकरण उनके समक्ष दिनांक 31.7.20 को प्रस्तुत करें।

1.20 पञ्जावली उपखण्ड साक्षात्कारी हेतु खसरा नम्बर जो न्यायहित में दिया जाता है पञ्जावली विंगेट 31.3.20 को पेशा है।

पञ्जाकार/पञ्जाकारान के अधिवक्ता

कोरोना लांकाडाउन पीठासीन अधिकारी को भ्रमण अवकाश पर नये हुए है, इसलिए प्रकरण उनके समक्ष दिनांक 19.5.20 को प्रस्तुत करें।

21.5.20

पञ्जाकार/पञ्जाकारान के अधिवक्ता

कोरोना लांकाडाउन पीठासीन अधिकारी को भ्रमण अवकाश पर नये हुए है, इसलिए प्रकरण उनके समक्ष दिनांक 22.5.20 को प्रस्तुत करें।

22.5.20

पञ्जाकार/पञ्जाकारान के अधिवक्ता

पीठासीन अधिकारी को भ्रमण अवकाश पर नये हुए है, इसलिए प्रकरण उनके समक्ष दिनांक 22.6.20 को प्रस्तुत करें।

पञ्जाकार/पञ्जाकारान के अधिवक्ता

22.06

पीठासीन अधिकारी को भ्रमण अवकाश पर नये हुए है, इसलिए प्रकरण उनके समक्ष दिनांक 22/7/20 को प्रस्तुत करें।

पञ्जाकार/पञ्जाकारान के अधिवक्ता

22.7.20

पीठासीन अधिकारी को भ्रमण अवकाश पर नये हुए है, इसलिए प्रकरण उनके समक्ष दिनांक 25.8.20 को प्रस्तुत करें।

पञ्जाकार/पञ्जाकारान के अधिवक्ता

25.8.20

पीठासीन अधिकारी को भ्रमण अवकाश पर नये हुए है, इसलिए प्रकरण उनके समक्ष दिनांक 14.10.20 को प्रस्तुत करें।

तारीख हुजम	हुजम या कार्यवाही इनिशियल जज
14/10/2020	वकुलाम उप। साक्ष्य वादी हेतु साक्ष्य-पत्र जो न्यायक्षेत्र में दिया जाता है किन्तु दिनांक 26/11/20 को फंसा है।
26/11/20	पञ्चकार/पक्षकारान के अधिवक्ता रोटेशनल अधिकारी को मिटिंग में/अवकाश अवकाश पर गये हुए हैं, इसलिए प्रत्यक्ष उनके समक्ष दिनांक 21/11/20 को पत्र लिखें।
21/11/21	पञ्चकार/पक्षकारान के अधिवक्ता रोटेशनल अधिकारी को मिटिंग में/अवकाश अवकाश पर गये हुए हैं, इसलिए प्रत्यक्ष उनके समक्ष दिनांक 22-3-21 को पत्र लिखें।
22/3/21	पञ्चकार/पक्षकारान के अधिवक्ता रोटेशनल अधिकारी को मिटिंग में/अवकाश अवकाश पर गये हुए हैं, इसलिए प्रत्यक्ष उनके समक्ष दिनांक 23-4-21 को पत्र लिखें।
23.04.21	पञ्चकार/पक्षकारान के अधिवक्ता रोटेशनल अधिकारी को मिटिंग में/अवकाश अवकाश पर गये हुए हैं, इसलिए प्रत्यक्ष उनके समक्ष दिनांक 26-05-21 को पत्र लिखें।
26/5/21	पञ्चकार/पक्षकारान के अधिवक्ता रोटेशनल अधिकारी को मिटिंग में/अवकाश अवकाश पर गये हुए हैं, इसलिए प्रत्यक्ष उनके समक्ष दिनांक 5/7/21 को पत्र लिखें।
5/7/21	पञ्चकार/पक्षकारान के अधिवक्ता रोटेशनल अधिकारी को मिटिंग में/अवकाश अवकाश पर गये हुए हैं, इसलिए प्रत्यक्ष उनके समक्ष दिनांक 5/8/21 को पत्र लिखें।
5/8/21	पञ्चकार/पक्षकारान के अधिवक्ता रोटेशनल अधिकारी को मिटिंग में/अवकाश अवकाश पर गये हुए हैं, इसलिए प्रत्यक्ष उनके समक्ष दिनांक 2/9/21 को पत्र लिखें।

हुजम या कार्यवाही इनिशियल जज	सम्बर व सारिख अहकाम जो हुजम को सारिल में जारी हुये
2/1/21	पञ्चावली प्रकृत। वकुलाम उप। फावली साक्ष्य वादी हेतु दिनांक 8.10.21 को पेश हो।
3/10/21	पञ्चावली प्रकृत। वकुलाम उप। साक्ष्य वादी हेतु अवसर पाया। दिया जा रहा पञ्चावली दिनांक 29.12.21 को पेश हो।
24/12/21	पञ्चावली प्रकृत। वकुलाम उप। पञ्चावली ठाण्डा खोदकिया की पालना में दिनांक 2.3.22 को पेश हो।
2/3/22	पञ्चकार/पक्षकारान के अधिवक्ता रोटेशनल अधिकारी को मिटिंग में/अवकाश अवकाश पर गये हुए हैं, इसलिए प्रत्यक्ष उनके समक्ष दिनांक 19.4.22 को पत्र लिखें।
19/4/2022	वकुलाम उप। साक्ष्य वादी हाजिर नहीं आया है प्रकरण पुराना है तथा दि. 19/11/19 से साक्ष्य वादी के स्तर पर चल रहा है। वकील वादी क्वेश्चन चाहे है न्यायक्षेत्र में इन्फिर्म क्वेश्चन प्रदान किया जाता है। दिनांक 06/06/2022 को पेश हो।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल जज
<p>6/6/22</p> <p>20/7/22</p>	<p>अभार/पसकारान के अविषय</p> <p>गोडासन नाम के जो सिटिम-डी/अवकाश पर तय हुए हैं, इन्हें प्रत्येक वर्ष के सुप्रभा दिनांक 20/7/22 को</p> <p>वकुलाय शर्मा वकील वादी को पूर्व में साध्य हेतु कई बार अवसर दिये जा चुके परन्तु वादी की ओर से साध्य पेश नहीं किया है। वादी को यह अवसर प्रदान किया जाता है तथा हिसाब दी जाती है कि आगामी तारीख पेशी पर साध्य पेश नहीं होने पर साध्य अवसर प्रदान बंद कर दिया जावेगा। मिसल नं 29/8/22 से पेश हो</p> <p><i>(सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जयल)</i></p>
<p>29/8/22</p>	<p>पत्रावली-प्रस्तुत। वकील वादी अनु. आवाज लगाई गई। वाद आवान रखने इंतजार उपरान्त वकील वादी हाजिर नहीं हुआ तो वादी स्वयं आया है। अब वाद वादी का अदम हाजरी रखे अदम पेशी में रजिस्ट्रि किया जाता है। मिसल नम्बर से कस होकर वाद जाता कार्यवाही दाखिल दफ्तर रहे।</p> <p><i>(सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जयल)</i></p>